

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रमोद कुमार, एसडीएम, गुड़ामालानी

उपस्थान :

वादीगण

1. मनराराम 2. जोधाराम 3. भेघराम 4. नरेन्द्रकुमार पिसरान अणदाराम
जाति कलबी निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अणदाराम पुत्र मोटाराम वगैरा (6)
जाति कलबी निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा राणाप्रताप बजारगुड़ामालानी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

दावा बाबत 88, 40, 188 RTA

मुकदमा नम्बर :-11...../2020

निर्णय दिनांक :-30.11..2021 (कैम्प-ग्राम पंचायत मुख्यालय लूणवा जागीर)

वादीगण की ओर से श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता वादीगण व वादीगण स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से स्वयं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.11..2021 को श्री प्रमोद कुमार एसडीएम, गुड़ामालानी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादग्रस्त आराजी ग्राम लूणवा जागीर के खेत खसरा नम्बर 418, 449, 591, 614 रकबा कमशः 31-18, 19-15, 130-06, 38-19 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 अणदाराम पुत्र मोटाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रमोद कुमार)
(प्रमोद कुमार)मालानी
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं 2021
पदेन सहायक कलक्टर गुड़ामालानी

दिनांक :

क्रमांक: वाचक/2021/

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुड़ामालानी।

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी मालानी
उपखण्ड अधिकारी

पदेन सहायक कलक्टर गुड़ामालानी
पंचायत सभिति गुड़ामालानी/आडेल